रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 2007 /चैत्र 23, 1929

No. 411] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 13, 2007/CHAITRA 23, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2007

का.आ. 582(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल कहा गया है) का गठन करती है जिसमें पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे हो जो निम्नलिखित हैं :–

1. प्रोफेसर सुबीमल जैन	अध्यक्ष, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया और परियोजना प्रबंध
2. प्रोफेसर अरुनवा मजूमदार	सदस्य, पर्यावरण गुणवत्ता
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, पश्चिमी बंगाल सरकार	सदस्य-सचिव (पदेन)

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी।

3. प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्याक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित की जाए।

4. प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल, इस आदेश में पश्चिमी बंगाल सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी।

5. पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार प्राधिकरण के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अधिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पश्चिमी बंगाल का गठन करती है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :–

1. प्रो. कुमार ज्योति नाथ	अध्यक्ष, पर्यावरण गुणवत्ता जोखिम निर्धारण
2. प्रो. श्यामल कानित सान्याल	सदस्य, पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रक्रिया, परियोजना प्रबंध
3. प्रो. सिद्धार्थ दत्ता	सदस्य परियोजना प्रबंध, जोखिम निर्धारण
4. श्री बी. के. सेनगुप्ता	सदस्य पर्यावरण गुणवत्ता, परियोजना प्रबंध
5. प्रो. जयश्री रे	सदस्य, पर्यावरण आर्थिकता
6. श्री सोमनाथ भट्टाचार्य	सदस्य, पर्यावरण गुणवत्ता
7. डा. तपन कुमार मिश्रा	सदस्य, जीव विज्ञान, वानिकी
8. सदस्य सचिव, पश्चिमी बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सचिव

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, पश्चिमी बंगाल का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुर्नगठन किया जाएगा ।

8. एस ई ए सी, पश्चिमी बंगाल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित की जाएं ।

9. एस ई ए सी, पश्चिमी बंगाल सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर का करेगी।, अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

10. पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार, एस ई ए सी के सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अभिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी। एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[सं. जे-11013/8/2007-आई ए. II(I)]

जे. एम. माऊसकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2007

S.O. 582(E). —In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), West Bengal (hereinafter referred to as the Authority, West Bengal) comprising of three members namely, Chairman, Member and Member Secretary nominated by the State Government of West Bengal as under :

1.	Prof. Subimal Sen	Chairman, EIA Process & Project Management
2.	Prof. Arunava Majumdar	Member, Environment Quality
3.	Chief Environment Officer, Government of West Bengal	Member-Secretary (Ex-Officio)

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, West Bengal shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, West Bengal shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of West Bengal in this order.

5. The State Government of West Bengal shall notify the agency to act as Secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of West Bengal as per rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of West Bengal, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, West Bengal (hereinafter referred to as SEAC which shall comprise the following Members :—

1.	Prof. Kumar Jyoti Nath	Chairman, Environment Quality Risk Assessment
2.	Prof. Shyamal Kanti Sanyal	Member, Environment Impart Assessment Process, Project Management
3.	Prof. Siddhartha Datta	Member, Project Management, Risk Assessment
4.	Shri B.K. Sengupta	Member, Environment Quality, Project Management
5.	Prof. Joyashree Ray	Member, Environments Economics
6.	Shri Somnath Bhattacharyya	Member, Environment Quality
7.	Dr. Tapan Kumar Mishra	Member Life Science, Forestry
8.	Member Secretary West Bengal Pollution Control Board	Secretary

7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, West Bengal shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, West Bengal shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, West Bengal shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of West Bengal shall notify the agency to act as Secretariat for the SEAC, West Bengal and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of West Bengal as per State rules.

[No. J-11013/8/2007-IA. II(I)]

J. M. MAUSKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.